

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2014 (01.01.2015)

- अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो-
- वर्तमान धारित पद-
- वर्तमान वेतन-
- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

यशवंत कुमार जैन (म.प्र.वित्त सेवा)
सहा.संचालक - वित्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय खालियर
15600-39100+5400(Grade pay)
01 जुलाई 2015

1	उस जिले, उपसंगम, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोरे		3	4	5	6	7	8
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
1. F3, प्लॉट नं.-172 झानखंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-पूरी	गृह (प्लॉट)	800 sqf		लगभग 33 लाख रुपये	अल्पना जैन (पत्नी)	पत्नी द्वारा अर्जित आय एवं बैंक से लोन लेकर- 2008			
2. पटवारी हल्का नं. 4 ग्राम -उत्तमपुरा तह.व जिला-टीकमगढ़	कृषि	1 एकड़		लगभग 4.5 लाख रु.	श्रीमती निर्मला जैन (माताजी)	पिता द्वारा अर्जित आय द्वारा-2011			
3. प्लॉट नं. 521 प्रीभियम पार्क अरिबिन्दो हास्पिटल के पास इंदौर	गृह (प्लॉट)	22x50 1100 sqf		लगभग 9.5 लाख रु.	स्वयं एवं पत्नी (अल्पना जैन) के नाम से	पिता द्वारा सहायता तथा स्वयं पत्नी द्वारा अर्जित आय (2013)			
4. नारगोड़ा दरवाजा वार्ड नं. 24 टीकमगढ़ (म.प्र.)	गृह (प्लॉट)	30x50 1500 sqf		लगभग 6 लाख रुपये	डॉ. सुरेन्द्र कुमार जैन (पिताजी) के नाम पर	पिता द्वारा अर्जित आय द्वारा-2013			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति में संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खोरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम - यशवंत कुमार जैन
पद - सहा.संचालक-वित्त
विभाग - वित्त विभाग